छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998

विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000[1]

अधिसूचना क्र. 3133/पं/वेट/2002 दिनांक 23 अक्टूबर, 2002.— म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000 है।

(2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा।

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित हो जाती हैं, तथा प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधि का नाम
42	छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998

क्र. एफ. 1-11-98-वाईस.-पं- 2.- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 129-ख के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम, जो कि धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, बनाता है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा लागू होना.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 है.

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लागू होंगे.

2. **परिभाषाएँ.**- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ख) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 129-क के खंड (क) में यथा परिभाषित ग्राम सभा;

(ग) "ग्राम पंचायत" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत;

(घ) "जनपद पंचायत" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित जनपद पंचायत;

(ङ) "जनसंख्या" से अभिप्रेत है अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े भारत सरकार या इस निमित्त नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रकाशित किये जा चुके हैं;

(च) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व);

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-10-2002 पृष्ठ 531-532(3) पर प्रकाशित।

(छ) "सरपंच" से अभिप्रेत है धारा 17 के अधीन निर्वाचित सरपंच या धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रतिस्थापित किया गया सरपंच;

(ज) "अनुसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र;

(झ) "उप सरपंच" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन निर्वाचित उप सरपंच; तथा

(ञ) "ग्राम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 129-क के खंड (ख) के अधीन यथा परिभाषित ग्राम.

3. ग्राम सभा का गठन.- अधिनियम की धारा 129-क के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक "ग्राम" के लिये साधारण एक "ग्राम सभा" होगी. परंतु ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर एक से अधिक "ग्राम सभाओं" का गठन नियम 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा.

4. एक से अधिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया.- (1) निम्नलिखित क्षेत्र के लिये पृथक् एक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा :-

(क) ग्राम या ग्रामों के समूह के लिये,

(ख) खेड़ा या खेड़ों (हेमलेट्स) के समूह जिसमें मोहल्ला, मजरा, टोला या पारा आदि सम्मिलित हैं, तथा

(ग) आवास या आवासों का समूह

जिसमें समाविष्ट समुदाय परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो.

(2) ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर या उस क्षेत्र के रहवासी मतदाता संकल्प द्वारा पारित कर या लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर विहित अधिकारी से उपनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में समाविष्ट क्षेत्र के लिये पृथक् ग्राम सभा की स्थापना की प्रार्थना कर सकेंगे.

(3) (क) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट उल्लेखित प्रस्ताव या आवेदन प्राप्त होने पर विहित अधिकारी उपनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में वर्णित क्षेत्र के लिये पृथक् ग्राम सभा स्थापित करने के आशय से एक सार्वजनिक सूचना प्ररूप 1 में जारी करेगा.

(ख) प्रत्येक ऐसी सूचना में प्रस्तावित नवीन ग्राम सभा में समाविष्ट होने वाले क्षेत्र तथा विद्यमान ग्राम सभा से अपवर्जित होकर शेष रह जाने वाले क्षेत्र तथा उसकी जनसंख्या का विवरण होगा.

(ग) प्रत्येक ऐसी सूचना में, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तक आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे, और किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट तारीख के अवसान के पूर्व प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर विहित अधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा.

(घ) प्रत्येक ऐसी सूचना विहित प्राधिकारी के कार्यालय, संबंधित ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के सूचना पटल पर और ऐसे आशय से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सहज-दृश्य स्थान पर चिपकवाकर तथा डोंडी पीटकर प्रकाशित की जायेगी.

(ङ) विहित अधिकारी खंड (ग) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत ऐसी आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हों, तथा नई प्रस्तावित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र के उसकी जनसंख्या, ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी, प्रस्तावित क्षेत्र में रहवासी मतदाताओं की रूढ़ियां एवं परम्पराओं आदि पर विचार कर नई ग्राम सभा के गठन कर विनिश्चय करेगा.

5. (1) विहित प्राधिकारी नवीन ग्राम सभा के गठन की अधिसूचना प्ररूप- 2 में जारी करेगा. जिसमें उस "ग्राम" में आने वाली ग्राम सभाओं का क्षेत्र व उनका विवरण होगा. पुनर्गठित ग्राम सभाएं आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आएंगी.

(2) ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन नियम- 4 के उपनियम (3) के खंड (घ) में अधिकथित रीति में किया जायेगा और उसकी एक प्रति जिला कलक्टर, उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा संबंधित ग्राम पंचायत को भेजी जाएगी.

6. ग्राम सभा का सम्मिलन.- ग्राम सभा का सम्मिलन ऐसे अन्तरालों पर आयोजित किया जायेगा जैसा कि उसके समक्ष विचारार्थ कार्य-सूची के आधार पर आवश्यक हो :

परंतु ग्राम सभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित होगा :

परन्तु यह और कि ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित में मांग करने पर या कलक्टर या जिला पंचायत द्वारा अध्यपेक्षा किये जाने पर ग्राम सभा का सम्मिलन तीस दिन की कालावधि के भीतर बुलाया जायेगा.

7. ग्राम सभा के सम्मिलन की तारीख, समय व स्थान.- (1) ग्राम सभा के सम्मिलन की तारीख, समय व स्थान सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उप-सरपंच द्वारा तथा सरपंच और उप-सरपंचों दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा नियत किया जायेगा।

(2) ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा मांग किये जाने पर या कलक्टर या जिला पंचायत द्वारा अध्यपेक्षा किये जाने पर ग्राम सभा का सम्मिलन बुलायेगा और वह ऐसी सूचना की जानकारी सरपंच को देगा।

(3) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित ग्राम सभा का वार्षिक सम्मिलन ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर होगा।

8. ग्राम सभा के सम्मिलन की सूचना देने की रीति.- ग्राम सभा का सम्मिलन आहूत किये जाने की सूचना देने की रीति ऐसी होगी जो कि ग्राम सभा नियत करें। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 1994 का नियम 4 इस संबंध में लागू होगा।

9. गणपूर्ति.- (1) ग्राम सभा के किसी सम्मिलन के लिये गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी, जिसमें एक तिहाई महिला सदस्य होंगी।

(2) यदि सम्मिलन के लिये नियत किये गये समय पर गणपूर्ति नहीं है तो सभापति सम्मिलन को ऐसी आगामी तारीख तथा समय के लिये स्थगित कर देगा जैसा कि वह नियत करे और एक नई सूचना विहित रीति में दी जायेगी तथा ऐसे स्थगित सम्मिलन के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी :

परन्तु ऐसे सम्मिलन में किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता.- ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी जो ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या सदस्य न हो, और जो उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्वाचित किया गया हो.

11. ग्राम सभा के सम्मिलन का संचालन.- (1) ग्राम सभा के सम्मिलन का संचालन उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जो सभापति संबोधित किया जायेगा.

(2) सभापति (चेयर परसन) ग्राम सभा की राय से ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ लिये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की प्रक्रिया विनिश्चित करेगा.

(3) सम्मिलन में लिये गये निर्णयों का संक्षेप जानकारी के लिये पढ़कर सुनाया जायेगा. सचिव उसी के अनुसार विनिश्चयों को कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित करेगा.

12. बहुमत द्वारा विनिश्चय.- (1) ग्राम सभा के किसी सम्मिलन के समय लाये गये कारबार के सभी मुद्दों पर का विनिश्चय ग्राम सभा के सदस्यों के मतैक्य के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु यदि किसी विवाद्यक पर तीव्र मतभेद हो तो ऐसे समस्त विषय वहां पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे तथा मतदान हाथ उठाकर किया जावेगा। मतों की समानता की दशा में सम्मिलन का सभापति निर्णायक मत देगा।

(2) यदि ऐसे कोई विवाद उद्भूत होता है जिससे कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं तो ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए उस सम्मिलन के सभापति द्वारा उसका विनिश्चय किया जावेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

13. उपस्थिति रजिस्टर.- ग्राम सभा के सम्मिलन में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम प्ररूप 4 में रखे गये उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज किये जावेंगे.

14. कार्यवृत्त अभिलेख.- (1) ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मिलन के कार्यवृत्त, कार्यवाहियों के अभिलेख तथा विनिश्चय तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कार्यवृत्त पुस्तक में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा इन नियमों के संलग्न प्ररूप- 3 में प्रविष्टि की जावेगी. और उसी सम्मिलन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जायेगी.

(2) कार्यवृत्त हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखा जायेगा.

(3) ग्राम सभा की कार्यवाही के कार्यवृत्त की प्रति सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जावेगी.

(4) ग्राम सभा की सिफारिशों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करेगी अथवा करायेगी.

15. ग्राम सभा के समक्ष रखे गये अभिलेखों का निरीक्षण.- ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

16. निरसन एवं व्यावृत्ति.- इन नियमों के तत्स्थानी ऐसे समस्त नियम तथा उप-विधियाँ जो उनके प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों तथा उप-विधियों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया था या की गई है.

प्ररूप-1

[देखिए नियम 4 का उप-नियम (3)]

सूचना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) की धारा 129-ख की उपधारा (2) के साथ पठित छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के नियम-4 के उप-नियम (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विहित अधिकारी नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कालम (5) में वर्णित (ग्राम/ग्रामों के समूह/मजरा/टोला/आदि के लिये पृथक) ग्राम सभा के गठन के आशय की जानकारी एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है.

उन आपत्तियों या सुझावों पर, जो दिनांक.......... तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त होंगे, विचार किया जावेगा. अवसान होने के पूर्व प्राप्त आपत्तियों, दावों या सुझावों पर दिनांक.......... को कार्यालय में सुनवाई की जायेगी.

सारणी

विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विद्यमान ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र	प्रस्तावित ग्राम सभा				अन्य ब्यौरा
			ग्राम सभा का अनुक्रमांक	ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र (ग्राम, मजरा, टोला, पारा)	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1. 2. 3.				

विहित अधिकारी

स्थान :

जारी करने का दिनांक

प्ररूप-2

[देखिए नियम 5 का उपनियम (1)]

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) की धारा 129-ख की उपधारा (2) सह पठित छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के नियम-5 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विहित अधिकारी

एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कालम (5) में वर्णित क्षेत्र के लिये पृथक ग्राम सभा (सभाओं) का गठन करते हैं, जो आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आएंगी :-

सारणी

खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विद्यमान ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र	नवगठित ग्राम सभा				अन्य ब्यौरे
			ग्राम सभा का अनुक्रमांक	ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र (ग्राम, मजरा, टोला, पारा)	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1. 2. 3.				

विहित अधिकारी

स्थान :

जारी करने का दिनांक

प्ररूप- 3
(देखिए नियम- 14)

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम . . . .
2. सम्मिलन की तारीख . . . .
3. सम्मिलन का स्थान . . . .
4. सम्मिलन का समय . . . .
5. उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों की संख्या . . . .

अनुक्रमांक	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	सम्मिलन के कार्यवृत्त
(1)	(2)	(3)

ग्राम पंचायत के सचिव के
हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा.

स्थान :

तारीख :

प्ररूप- 4
(देखिए नियम-13)

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति रजिस्टर

1. ग्राम पंचायत का नाम . . . .
2. ग्राम सभा का नाम . . . .
3. सम्मिलन की तारीख . . . .
4. सम्मिलन का स्थान . . . .
5. सम्मिलन का समय . . . .

अनुक्रमांक	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम	सदस्यों के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में)......................

स्थान : सचिव के हस्ताक्षर

तारीख : (मुद्रा)

छत्तीसगढ़ पंचायत (पशु वधशाला का विनियमन) नियम, 1998

विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000[1]

अधिसूचना क्र. 3133/पं/वेट/2002 दिनांक 23 अक्टूबर, 2002.— म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000 है।

(2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा।

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित हो जाती हैं, तथा प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधि का नाम
43	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (पशुवध शाला का विनियमन) नियम, 1998

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-10-2002 पृष्ठ 531-532(3) पर प्रकाशित।